



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 15 जनवरी, 2021

पौष 25, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 04/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(170)-2021

लखनऊ, 15 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प0आ10-18

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन्, 2020) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्द्वारा 01 जनवरी, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 04 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(170)-2021, dated January 15, 2021 :

No. 04 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(170)-2021

Dated Lucknow, January 15, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Act, 2020 (U.P. Act no. 24 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, hereby appoints the 1st day of January, 2021, as the date on which the provisions of sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 13 of the said Act shall be deemed to have come into force.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 664 राजपत्र-2021-(1315)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 75 सा० राज्य कर-2021-(1316)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।